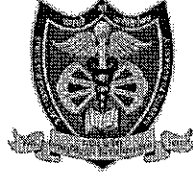


मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com



Address:-
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / सम्बद्धता / 2018-19 / 4036

जबलपुर, दिनांक ०७/12/2019

प्रति,

प्राचार्य,

Smt. Kamlaben Raojhai Patel Gujarati Homoeopathic Medical College,
Indore M.P.

विषय:- बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से
संबद्धता/निरंतरता विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27/11/2019 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27/11/2019 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा सत्र 2018-19 के लिए सशर्त अस्थाई एवं प्रावधिक संबद्धता/निरंतरता प्रदान की जाती है:-

S. No.	Name of Course	Seats
1	B.H.M.S.	100

शर्त :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2018-19 में संबद्धता/निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी संबद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2019-20 की सम्बद्धता/निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित संबद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।

5. महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षाओं तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
6. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।
7. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
8. महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। विश्वविद्यालय की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता समाप्त की जा सकेगी।
9. विषय से सम्बंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगा।
10. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
11. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।
13. महाविद्यालय में सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।
14. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)


 डॉ. संजय तोतड़े
 कुलसचिव
 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
 जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता /2018-19/4036-11
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

जबलपुर, दिनांक 07/12/2019

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली।
4. संचालक, आयुष मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।


 उप-कुलसचिव (संबद्धता)
 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
 जबलपुर